# धान अधिप्राप्ति संबंधित दिनांक 07.06.2016 को हुई टास्क फोर्स की बैठक की कर्यावाही

(1) उपस्थिति-पंजी के अनुसार

(2) जिला पदाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई जिस में समीक्षा के बाद निम्नवत स्थिति पायी गयी :-

(1) मधेपुरा जिला अंतर्गत धान अधिप्राप्ति के बाद सी0एम0आर0 का लक्ष्य 18212.52mt है, जिसके विरुद्ध दिनांक 06.06.2016 को प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार 10147.84mt सी0एम0आर0 ही प्राप्त हुआ है।

(2) पैक्सवार समीक्षा के बाद पाया गया कि इस जिला में कुल 145 पैक्सों के द्वारा किसानों से धान की खरीद की गई, जिसमें मात्र 25 पैक्सों के द्वारा ही निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सी0एम0आर0 गिराया गया है। शेष 120 पैक्सो के द्वारा लक्ष्य के अनुरूप सी0एम0आर0 नही गिराया गया है।

(3) राईस मिलवार समीक्षा के कम में पाया गया कि जिला में कार्यरत 20 मिलों से पैक्सो से प्राप्त घान की मात्रा के अनुरूप शतप्रतिशत कुटा हुआ चावल की आपूर्ति पैक्सों को नही की गई है।

(4) समीक्षा के कम में जिला प्रबंधक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि बोरे की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति हो गई है। पूर्व में बोरे की कमी के चलते राईस मिल से सी0एम0आर उठाव में अपेक्षित प्रगति नही हुई है। जिला प्रबंधक ने यह भी स्पष्ट किया कि पैक्सों को भुगतान के लिए बैंक में पर्याप्त राशि है।

(5) उपस्थित मिल मालिकों ने बताया कि पंचायत चुनाव के चलते बहुत सारे पैक्सों के द्वारा मिल तक धान धान नियमित रूप से पहुँचाया नही गया है। उनके पास जितने भी धान उपलब्ध कराए गए थे उनका चावल (सी0एमआर0) संबंधित पैक्सों के द्वारा गोदामों में उपलब्ध करा दिया गया है।

उपरोक्त स्थिति में जिला टास्क फोर्स के द्वारा निम्नांकित निर्णय लिए गए

(1) जिला अंतर्गत कार्यरत सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी बैठक में उपस्थित है सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे सभी पैक्सों, जिन्होने किसानों से धान खरीद किया है, से धान को अविलंब प्रखंड से संबद्ध एकरारनामित मिल को तीन दिनों के अन्दर धान पहुँचवाना सुनिश्चित करें।

(2) सभी मिल मालिक को निदेश दिया गया कि वे दिनांक 20.06.2016 तक पैक्सों से उपलब्ध कराए गए धानों की कुटाई शतप्रतिशत करें। उपस्थित मिल मालिकों ने घोषणा (Undertaking) दी कि वे दिनांक 20.06.2016 तक शतप्रतिशत धान कुटकर सी0एम0आर0 गोदाम को उपलब्ध करा देगे।

(3) जिला प्रबंधन (एस0एफ0सी0) तथा सभी सहायक गोदाम प्रबंधक को निदेश दिया गया कि वे चावल की निर्धारित गुणवता के अनुरूप चावल प्राप्त करेंगें। गुणवता के विरूद्ध शिकायत पाने की स्थिति में इसकी सभी जिम्मेवारी सहायक गोदाम प्रबंधक की मानी जायेगी।

(4) जिला प्रबधक को निदेश दिया गया कि पैक्सों से चावल प्राप्ति के बाद उन्हें अविलम्ब भुगतेय राशि उपलब्ध करायी जाए। जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि मिलों को पैक्स से प्राप्त होने वाली राशि में यदि विवाद की स्थिति उत्पन होती है तो वे इसे अपने स्तर से सुलझाने का प्रयास करें।

(5) जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि वे क्षेत्र भ्रमण के द्वारा निरंतर मिलों का निरीक्षण करे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी के समक्ष रखा जाय।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.6.16 | 07/06/16 | 11/06/16 | |
| जि0प्र0रा0खा0निगम, मधेपुरा। | जिला सहकारिता पदा0 मधेपुरा। | जिला आपूर्ति पदा0 11.6.16 मधेपुरा। | जिलाधिकारी, मधेपुरा। |

ज्ञापांक - 451 दिनांक - 13.06.2016

प्रतिलिपि - सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं ई-मेल करने एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/6/16

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
13.6.16 मधेपुरा